

Need to constitute a Legislative Assembly for Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu- Laid

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : हमारी सरकार ने दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव (विलय) अधिनियम, 2019 के माध्यम से एकीकरण का एक दूरदर्शी और सफल कदम उठाया, जो 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और केंद्र की नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन के महान उद्देश्य को दर्शाता है। मेरे प्रदेश में सीधे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक शासन करते हैं। जिस प्रकार पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभाएं कार्यरत हैं, उसी तर्ज पर दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव में भी शीघ्र विधानसभा का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। गोवा और मिजोरम जैसे पूर्व संघ राज्य क्षेत्रों का उदाहरण हमारे सामने है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239(क) के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधान सभाएं स्थापित करे। यह प्रावधान 'सशक्तिकरण' की हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का आधार है और यह कदम देश के लोकतंत्र में विश्वास को और गहरा करेगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह तथा मांग करती हूँ कि लोकतंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक संवैधानिक संशोधन लाकर दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक निर्वाचित विधानसभा का गठन करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। यह निर्णय क्षेत्र में जन-केंद्रित शासन को और भी अधिक सशक्त करेगा।